The War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943

(Act No. 23 of 1943)

युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943

(1943 का अधिनियम संख्यांक 23)

युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943

(1943 का अधिनियम संख्यांक 23)

[2 सितम्बर, 1943]

उन कर्मकारों को, जिन्हें कोई युद्ध क्षति हुई है, प्रतिकर संदाय करने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित करने तथा नियोजकों के ऐसे दायित्व के लिए बीमे का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि उन कर्मकारों को, जिन्हे कोई युद्ध क्षति हुई है, प्रतिकर संदाय करने का दायित्व नियोजकों पर अधिरोपित किया जाए और नियोजकों के ऐसे दायित्व के लिए बीमें का उपबन्ध किया जाए;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 है।

[1][(2) इसका विस्तार, [2][उन राज्यक्षत्रों के] सिवाय, [2][जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग-ख राज्यों में समाविष्ट थे], सम्पूर्ण भारत पर है।]

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "वयस्क" और "अप्राप्तवय" के वही अर्थ होंगे जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में हैं;

(ख) "नियोजक" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और नियोजक का कोई प्रबन्ध-अभिकर्ता और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है, और जबकि कर्मकार की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा, जिसके साथ कर्मकार ने सेवा या शिक्षुता की कोई संविदा की है, अस्थायी तौर पर उधार दी गई है या भाड़े पर दी गई है वहां "नियोजक" से जब तक वह कर्मकार उस अन्य व्यक्ति के लिए काम करता रहता है पश्चात् कथित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "निधी" से धारा 11 के अधीन गठित युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा निधि अभिप्रेत है;

(घ) "अभिलाभपूर्वक लगे हुए व्यक्ति" और "युद्ध क्षति" के वही अर्थ होंगे जो युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941 (1941 का 7) में उनके हैं;

(ङ) "आंशिक निःशक्तता" से, जहां वह निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहां, ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे कर्मकार की उस नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है, जिसमें वह उस समय, जब क्षति हुई, लगा हुआ था, और जहां कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहां, ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे किसी भी ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन-सामर्थ्य कम हो जाती है जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था :

परन्तु [4][प्रथम अनुसूची] की मद 2 से मद 9 तक में विनिर्दिष्ट हर एक क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता होती है;

(च) "विहित" से धारा 20 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है :

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग-ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 16 नवम्बर, 1943, देखें भारत का राजपत्र, 1943, भाग 1, पृ० 1258.
4. युद्ध क्षति (प्रतिकार बीमा) संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का 54) की धारा 2 द्वारा "अनुसूची" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(चच) "वर्तमान संघर्ष की समाप्ति" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख घोषित करे जिसको उक्त संघर्ष समाप्त हुआ था ;]

(छ) "पूर्ण नि:शक्तता" से ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी प्रकार की हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मकार को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस समय, जब ऐसी क्षति हुई थी, करने में समर्थ था :

परन्तु दोनों आंखों की दृष्टि का स्थायी पूर्ण हानि के बारे में, या [2][प्रथम अनुसूची] की मद 1 में विनिर्दिष्ट किसी क्षति के बारे में या [2][प्रथम अनुसूची] की मद 2 से मद 9 तक में विनिर्दिष्ट क्षतियों के किसी समुच्चय के बारे में, वहां जहां नि:शक्तता का संकलित प्रतिशत जो उस अनुसूची में उन क्षतियों के सामने विनिर्दिष्ट है सौ प्रतिशत होता है, यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण नि:शक्तता हुई है;

(ज) "स्कीम" से धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा स्कीम अभिप्रेत है;

(झ) "मजदूरी" से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है, और "मासिक मजदूरी" का वही अर्थ है जो इस पद को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 5 में दिया गया है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसकी संगणना उस रीति से की जाएगी जो उस धारा में अधिकथित है;

(ञ) "कर्मकार" से (उस व्यक्ति से भिन्न जिसका नियोजन आकस्मिक प्रकार का है और जो नियोजकों के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजनों के लिए नियोजित होने से अन्यथा नियोजित है) कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट नियोजनों में से किसी में नियोजित है।

3. अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर किसके द्वारा और कैसे संदेय होगा—(1) उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, अभिलाभपूर्वक लगे हुए व्यक्ति को, जो ऐसा कर्मकार है, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941 (1941 का 7) के अधीन उपबन्धित किसी अनुतोष के अतिरिक्त, नियोजक द्वारा वह प्रतिकर संदेय होगा जिसकी रकम और किस्म धारा 5 में उपबंधित है :

परन्तु जहां किसी नियोजक ने धारा 9 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित कोई बीमा-पालिसी ली हुई है और उस पर प्रीमियम के रूप में सब संदाय, जो तत्पश्चात् उसके द्वारा देय हों, स्कीम के उपबन्धों के अनुसार कर दिए हैं, अथवा जहां [3][धारा 9 की उपधारा (1) के या] धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के द्वारा नियोजक से बीमा कराने की अपेक्षा नहीं की गई है वहां केन्द्रीय सरकार नियोजक की ओर से इस उपधारा के अधीन प्रतिकर देने के नियोजक के दायित्व को ग्रहण करेगी और उसका निर्वहन करेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर स्कीम में इस निमित्त किए गए उपबन्धों के अनुसार संदेय होगा।

(3) यह धारा सरकार पर आबद्धकर होगी।

4. इस अधिनियम के और 1941 के अध्यादेश के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने से अन्यथा प्राप्त करने के अधिकार पर परिसीमा—जहां किसी व्यक्ति को, किसी ऐसी युद्ध क्षति की बाबत, जिसकी बाबत प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन संदेय है, नियोजक से इस अधिनियम के और युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941 (1941 का 7) के उपबन्धों के अलावा प्रतिकर (चाहे वह उपदान, पेंशन, अनुकम्पा-संदाय के रूप में हो या अन्यथा), अथवा नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार है वहां इस अधिकार का विस्तार ऐसे प्रतिकर या नुकसानी के केवल उतने भाग तक होगा जितना इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से अधिक है।

5. प्रतिकर की रकम—(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर इस प्रकार होगा,—

(क) जहां क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है वहां—

(i) वयस्क की दशा में—वैसे ही मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन संदेय रकम में से सात सौ बीस रुपए घटाकर शेष रकम, और

(ii) अप्राप्तवय की दशा में—दो सौ रुपए;

---

1. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अध्यादेश, 1945 (1945 का 41) की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
2. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का 54) की धारा 2 द्वारा "अनुसूची" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का 54) की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

17 के अधीन [1][या उसकी तत्स्थानी विधि के [2][जो भारत के किसी ऐसे भाग मे, जहां इस अधिनियम का विस्तार नहीं है,] या द्वितीय अनुसूची में दिए गए राज्य क्षेत्रों में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रशासित क्षेत्र कहा गया है) प्रवृत्त हो,] किसी उपबन्ध के अधीन, अपराधों के शमन पर किए गए संदायों के रूप में, अथवा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने में से न्यायालय द्वारा [3]दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 545 के अधीन दिलवाए गए व्यय या प्रतिकर के रूप में, अथवा स्कीम के अधीन अधिरोपित शास्तियों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियां जमा की जाएंगी, और इसमें से वे सब राशियां संदत्त की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम या स्कीम के अधीन के अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अथवा स्कीम के प्रयोजनों के लिए नियोजित अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक और व्यय के केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय के लिए, अथवा स्कीम के प्रशासन-खर्च के केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय के लिए अपेक्षित हों :

परन्तु सरकार के किसी दायित्व के निर्वहन में सरकार द्वारा नियोजित कर्मकारों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए निधि में से कोई भी संदाय नहीं किया जाएगा।

(2) यदि निधि में जमा राशि किसी समय उस राशि से कम हो जाती है जो निधि के प्रयोजनों के पर्याप्त निर्वहन के लिए उस समय आवश्यक है तो केन्द्रीय सरकार साधारण राजस्व में से अग्रिम धन के रूप में उतनी रकम निधि में देगी जितनी केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) यदि निधि में से किए जाने वाले सभी संदायों के चुकाए जाने पर निधि में कोई अतिशेष रह जाता है तो उस अतिशेष से एक ऐसी निधि बनाई जाएगी जिसे केन्द्रीय सरकार कर्मकारों के लाभ के लिए प्रयुक्त और प्रशासित करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार निधि में प्राप्त और उसमें से संदत्त सभी राशियों का लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगी, जो विहित की जाए, और हर छह मास के पश्चात् उसे प्रकाशित करेगी।

12. मालिक और ठेकेदार—(1) जहां कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में मालिक कहा गया है), अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए, उन कर्मकारों की सेवाओं का उपयोग करता है, जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से उसे उधार या भाड़े पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के साथ ठहराव द्वारा, दी गई हैं, जिससे कि उन कर्मकारों ने सेवा या शिक्षुता की संविदाएं की हैं, अथवा अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन किसी ऐसे सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए संविदा करता है जो मामूली तौर पर मालिक के व्यापार या कारबार का भाग है (जिन ऐसे दोनों अन्य व्यक्तियों को इस धारा में ठेकेदार कहा गया है) वहां मालिक ठेकेदार से धारा 8 के अधीन कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के उस अभिकर्ता का नाम प्राप्त करेगा जिससे उसका बीमा कराने का आशय है और अभिकर्ता को यह रिपोर्ट देगा कि उसका ठेकेदार के साथ कोई ठहराव या संविदा विद्यमान है।

(2) इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे मामले में जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, उन कर्मकारों की बाबत, जो उसके द्वारा नियोजित है और जिनकी सेवाएं ऐसे ठहराव पर उधार दी गई है या भाड़े पर दी गई है या ऐसी संविदा पर कार्य के निष्पादन में प्रयोग की गई है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, जहां कि ठहराव या संविदा एक मास की अवधि से कम के लिए है, ठेकेदार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित दायित्व के लिए बीमा करे।

(3) स्कीम में किसी ठेकेदार द्वारा किसी मालिक को ऐसी कोई जानकारी देने के लिए, जो इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है, उपबन्ध हो सकेगा, जिसके अंतर्गत स्कीम की किसी अपेक्षा के उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने के दंड का उपबन्ध भी है।

13. जानकारी प्राप्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि इस अधिनियम तथा स्कीम की अपेक्षाओं का पालन किया गया है या नहीं, किसी नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे लेखें, बहियां या अन्य दस्तावेजें प्रस्तुत करे या उसे ऐसी जानकारी या ऐसे प्रमाणपत्र दे, जिन्हें वह उचित रूप से आवश्यक समझे।

(2) जो कोई, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालेगा या उसके अधीन किए गए किसी अनुरोध का अनुपालन करने में उचित कारण के बिना असफल रहेगा, वह, ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए जब ऐसी कोई बाधा या असफलता होती है, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

---

1. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का 54) की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।
2. विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अब सुसंगत उपबंधों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941 द्वारा युद्ध में हुई क्षति की बाबत सहायता देने का उपबंध करने के लिए स्कीम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया गया था। इसमें यह भी उपबंध था कि किसी युद्ध क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर संदेय नहीं होना चाहिए। उक्त अधिनियम के अधीन कर्मकार अब केवल युद्ध क्षति स्कीम के अधीन सरकार से सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

2. औद्योगिक रूप से अधिक उन्नत देशों में, जहां भारत की तरह औद्योगिक वेतनमान में इतने अधिक अन्तर नहीं है वैयक्तिक क्षति स्कीम में श्रम की बाबत सहायता और प्रतिकर दोनों हैं। भारत में युद्ध क्षति स्कीम के अधीन सहायता की रकम वर्तमान में उच्च वेतन पाने वाले श्रमिकों को प्रतिकर के रूप में प्राप्त नही हैं । स्वयं सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह या तो युद्ध क्षति स्कीम के अधीन सहायता की मात्रा में साधारणतया वृद्धि करे या सरकारी निधि से कर्मचारियों के विशिष्ट वर्ग को अतिरिक्त प्रतिकर के दाय की जिम्मेदारी ले। तथापि, यह युक्तियुक्त है कि उक्त बाध्यता कतिपय नियोजकों पर डाली जाए। अन्यत्र की अपेक्षा कारखानों और अन्य औद्योगिक समुत्थानों में कर्मचारियों को खतरे की अधिक संभावना भी है (जो शत्रु हमले के निशाने हो सकते हैं)।

3. विधेयक महापत्तनों और विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य नियोजनों में आवश्यक सेवाओं के, कारखानों और खान श्रमिकों के नियोजकों पर, उनके कर्मकारों की युद्ध क्षति की बाबत प्रतिकर के दाय की बाध्यता अधिरोपित करता है जो, युद्ध क्षति स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदत्त रकम और वह रकम जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदेय होती यदि युद्ध क्षति ने उसके अधीन प्रतिकर का अधिकार दिया होता, के अन्तर की रकम तक संगणित होगी। इसका तात्पर्य मोटे रूप से 24 रुपए प्रतिमास पाने वाले श्रमिकों की बाबत अतिरिक्त संदाय है।

4. अनेक नियोजक, अतिरिक्त दायित्व लेने के लिए तैयार है लेकिन उस कारखाने की दशा में जो शत्रु के कृत्य से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है जब तक कि जोखिम के लिए बीमा न कराया गया हो, दायित्व या तो कोई संकट या असंभवता ही साबित हो सकता है। यह समझा जाता है कि कुछ बीमा कंपनियां अब ऐसी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं यद्यपि बहुत कम मामलों में इस विषय में बीमा किया गया है। विधेयक में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में नियोजकों द्वारा ऊपर वर्णित दायित्व के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ अनिवार्य बीमा के लिए उपबंध किया गया है।

5. राज्यों में नियोजकों के लिए बीमा स्कीम का विस्तार देने के लिए भी उपबंध किया गया है परन्तु यह तब जबकि अन्य राज्य में इस विधेयक के सारतः तत्सम उपबंध किए गए हों।

6. विधेयक युद्ध जोखिम (माल) बीमा अध्यादेश और युद्ध जोखिम (कारखाना) बीमा अध्यादेश का अनुगामी है।

नई दिल्ली,
5 मार्च, 1943

बी० आर० अम्बेडकर